मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2213 //आदेश// दिनांक 12.02.2024

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

/म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग/स्थापना/भोपाल

//आदेश// 15/12/22

क्र. 3270 मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा .... 3(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की ...... बैठक दिनांक 17.11.2022 में एजेण्डा क्रमांक 7, 8-अ, एवं 8-ब में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में आई.ई.एस विश्वविद्यालय, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित नवीन पाठ्यक्रम एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या में वृद्धि हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-23 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

स.क्र.	नवीन पाठ्यक्रम का नाम	अध्यादेश क्रमांक	स्वीकृत सीट संख्या
1.	BA LLB.	30	60
2.	LLM	29	20
3.	Diploma in Engineering (Mining and Mine Surveying)	12	60
4.	Diploma in Electrical Engi.	12	60

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अध्यादेश क्र.	पूर्व में प्राप्त सीट संख्या	सीट संख्या में वृद्धि कर स्वीकृत की गई सीट संख्या	कुल योग
1-	B.B.A	22	120	120	240
2-	BCA	20	120	120	240
3-	B. Tech. (CSE) Computer Science & Engi.	13	120	60	180

शर्तें:-

1. संबंधित परिषद एवं यू.जी.सी. से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यू.जी.सी एवं संबंधित परिषद के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु यू.जी.सी एवं संबंधित परिषद की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे ।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित परिषद से निर्धारित की गई गाईडलाईन/मापदंडो का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल के द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा ।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त कराना होगा ।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित मूल्यांकन विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित कराना होगा ।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी ।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

11/12/2022

(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल

पृ.क्रमांक ..../स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021-22भोपाल

प्रतिलिपि

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ ।
   आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कुलसचिव, आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. प्रभारी शुल्क नियमन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
6. मूल नस्ति ।
7. गार्ड फाइल।

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल